प्रकरण संख्या 1/2013 कानजी व अन्य बनाम नाथू के बजाय कालू व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.01.2020	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कुल 9 आराजियात रकबा 82 बीघा 6 बिस्वा भूमि ग्राम फेफर में स्थित है, जो वर्ष 1945–46 के सेटलमेन्ट खतौनी संख्या 72 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता होमजी के नाम दर्ज थी, किन्तु नामान्तरकरण संख्या 38 के आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के नाम दर्ज हुई है, जो अवैध होने से निष्प्रभावी हैं। अतः वादीगण को विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया जावे तथा रेकार्ड से अवैध इन्द्राज हटाये जावे। प्रतिवादी संख्या 2 से 6 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कुल 6 तनकियात कायम की एवं अपने निर्णय दिनांक 29.05.2012 से वादीगण का स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 17.01.2013 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर उनके अधिवक्तागण उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट द्वारा देरी के कारणों को अंकित करते हुए दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन सशपथ प्रस्तुत किया, जिसे न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। वकील अपीलान्ट द्वारा आदेश 41 नियम 27 जा.दी. का आवेदन पेश कर उनके साथ कुछ दस्तावेज पेश किये, जो राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियां होने से न्यायहित में उन्हें रेकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। दौराने पर बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ	

न्यायालय में उनके अधिवक्ता द्वारा नो इन्सट्रेक्शन कर दिये जाने से अपीलान्टगण कोई साक्ष्य पेश नहीं कर सके तथा उनके अभिभाषक ने उन्हें इसकी कोई सूचना नहीं दी, जिससे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण को बिना सुने एकतरफा वाद डिक्री कर दिया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार होना बताया तथा अपील सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रतिवादी/अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 25.04.2012 को नो इन्सट्रेक्शन कर दिया गया, जिसकी अपीलान्टगण को सूचना दिये जाने की कोई साक्ष्य नहीं है। अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा नो इन्सट्रेक्शन कर दिये जाने से प्रतिवादी/अपीलान्ट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने हुए उन्हें बिना सुना अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद डिक्री कर दिया गया, जबकि प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया था एवं उनके आधार पर 6 तनकियात भी कायम की गयी थी। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये बिना जो एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है वह प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2012 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर तनकीवार निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.03.2020 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 20.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.01.27 14:06:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: